संख्या-०२/2022/466/63-व0उ0-2022-8(एच)/2019

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2022**

विषयः- **उ0प्र0 हैण्डलूम,पावरलूम,सिल्क,टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी-2017 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-134/ह0क0-नियोजन/2022-23 दिनांक 05.05.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंन्टिग पालिसी-2017 के अन्तर्गत रू0 33,39,000/- (रूपये तैंतीस लाख, उनतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल प्रदान करते है:-

क्रम	मद का नाम	धनराशि
1	वस्त्र इकाई-मे0 श्री राम जूटस् मौजमपुर रोड, किरतापुर, बिजनौर के पक्ष में पूँजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान मदों के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सहायता।	24,82,230/-
2	पी0एम0ए0-यूपिको, कानपुर के पक्ष में सेवा-शुल्क का भुगतान	76,770/-
3	कताई-बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट छात्रों को छात्रवृत्ति	7,80,000/-
	कुल धनराषि	33,39,000/-

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जाने वाली धनराशि शासनादेश संख्या-703/63व0उ0-2019-1174/2018 दिनांक 18 जून 2019 में निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 33,39,000/- (रूपये तैंतीस लाख, उनतालीस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 तथा पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- ०२/2022/466(1)/63-व0उ0-2022 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in